

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


(भोपाल-462023 दूरभाष 91-755-2589980, फ़ैक्स-2583651, ई-मेल Statisticsdpi@gmail.com)

क्रमांक/योजना/ध/उन्नयन/2011/22

भोपाल दिनांक 6/2/12

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 27-49 / 2008 /20-2, दिनांक 6.6.2011 के अनुक्रम में लिये गये निर्णय अनुसार सांदिपनी संस्कृत भाषा प्रसार योजनांतर्गत प्रत्येक विकासखंड में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 के पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह सुनिश्चित किया जाये कि यह पद केवल उसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत किया जाये जिसमें पूर्व से संस्कृत व्याख्याता का पद स्वीकृत नहीं हो । आपके द्वारा चयनित किये गये विद्यालय की सूचना संचालनालय को तत्काल देवे ताकि संबंधित विद्यालय में संविदा शाला शिक्षक वर्ग -1 (संस्कृत) की पद स्थापना संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।


आयुक्त 3/2/12
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 6/2/12

पृ०क्रमांक/योजना/ध/2011-12/ 23

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म०प्र० भोपाल ।
- 2- मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल ।
- 3- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 4- महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 5- सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश
- 6- समस्त जिला कलेक्टर (जिला झाबुआ, बडवानी मण्डला, डिण्डोरी व अनुपपुर को छोड़ कर) मध्यप्रदेश ।
- 7- समस्त जिला कोषालय अधिकारी (जिला झाबुआ, बडवानी मण्डला, डिण्डोरी व अनुपपुर को छोड़ कर) मध्यप्रदेश ।
- 8- समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (जिला झाबुआ, बडवानी मण्डला, डिण्डोरी व अनुपपुर को छोड़ कर) मध्यप्रदेश ।